2/17 पत्रावली पेश हुई। याचीगण/प्रार्थी उपस्थित हुआ। नोटिस पुनः जारी होकर पत्रावली दि. 18/1/18 को पेश हो।

15/1/18

[illegible]

9/2/18

[illegible] पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 5/3/18

5/3/18 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण उपस्थित हुआ। प्रार्थी व I की ओर से विद्वान B.S. चावड़ ने जवाब मय व्यावतनामा व चार्ट न. III के साथ प्रस्तुत पेश किया। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 16/3/18 को पेश हो।

16.3.18 पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। खे.नं. 184/2 रकबा 2.10 बीघा भूमि में बिना संपरिवर्तन कराये निर्माण कार्य कराने पाने में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 RT Act-1955 के तहत प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था। वर्तमान में नियमानुसार दिनांक 29.12.2017 को प्रश्नगत भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है। अतः प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निरस्त हो जाने से यह प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली अभिलेख से कम होकर फाईल मुनासिब हो।